(ख) जी, नहीं। कर की वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विस्तृत सांविधिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इनमें ब्याज, अर्थदंड लगाना, बैंक खातों की कुर्की, चल और अचल सम्पति आदि की कुर्की और बिक्री आदि शामिल है। उच्च मार्गों वाले मामलों की आवधिक समीक्षा और निगरानी उच्च प्राधिकारियों द्वारा निरन्तर आधार पर की जाती है और करों की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त बकाया मांग पूरी तरह से वसूली योग्य नहीं है क्योंकि इसमें न्यायलयों/समझौता आयोग/आयकर प्राधिकारियों आदि द्वारा रोकी गई मांग शामिल हैं।

"फेरा" मामलों की कार्रवाई पूरा होने में विलम्ब

4499. **श्री ईश दत्त यादव**:

चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "फेरा" मामलों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई 1995 से आज की तारीख तक पूरी नहीं की गयी है और उसके परिणामस्वरुप उन व्यक्तियों को अभी तक कोई दण्ड नही दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध 1995 से फेरा मामलों के अधीन कार्रवाई पूरी नहीं की गयी है और प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार प्रत्येक मामले में असामान्य विलम्ब की समीक्षा करेगी और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनम): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि कुछेक जटिल समूह के मामले में जांच में काफी समय लग जाता है जिसके कारण विलम्ब हो जाता है। वर्ष 1995 से लेकर अब तक जांच के लिए हाथ में लिए गए मामलों की संख्या और ऐसे मामले जिनमें कारण बताओं नोटिस (एस. सी. एन.) जारी किए गए हैं तथा अभियोजन कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है, उनकी संख्या इस प्रकार है:-

सं.		1995	1996	1997	1998 (मार्च तक)
(ii)	जांच के लिए हाथ में लिए गये मामले	5633	5486	5577	880
(ii)	जारी किये गए कारण बताओ नोटिस	2456	2291	2721	636
(iii)	अभियोजन कार्रवाई शुरू की गई	202	101	90	17

(ग) सरकार जांच/न्यायनिर्माणयन/अभियोजन कार्रवाई के अंतर्गत बकाया मामलों की आवधिक रुप से समीक्षा करती है और उपयुक्त अनुदेश करती है।

फेरा मामलों में मुक्त किए गये व्यक्ति

4500. **श्री नागमणि**:

चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फेरा मामलों में शामिल बहुत से व्यक्ति सरकार की लापरवाही और गलती की वजह से छोड़ दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों के दौरान उनका राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फेरा मामलों में की जा रही कार्यवाई की समीक्षा की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार जांच/न्याय निर्णायन/अभियोजन के अधीन मामलों की आवधिक पूर से समीक्षा करती है और उपयुक्त अनुदेश जारी करती है।